तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01/08/23	राजस्व आवेदन संख्या 25/2023 अनवान मूलगर बनाम टीकूराम पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि मौजा जैसाला धोरा पटवार क्षेत्र विशाला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 211 रकबा 26.6202 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसके सेढा सेढ अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 287/210 रकबा 2.3876 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने पक्की नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त दोनों आवेदनों का आदेश दिनांक 12.06.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अप्रार्थीगण के खेत की नेखमबन्दी हेतु आरआई हल्का एवं पटवारी हल्का ने मौके पर न आकर दिनांक 15.06.2023 को मौका फर्द प्रस्तुत की जो फर्द के अवलोकन से प्रमाणित है। उक्त नेखमबन्दी व फर्द की आड़ में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि व कब्जे काश्त में जबरन दखलन्दाजी कर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमदा है तथा अप्रार्थीगण बेशकीमती भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने की लगातार धमकियां दे रहे है। यदि अप्रार्थीगण उसमें सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः मौजा जैसाला धोरा पटवार क्षेत्र विशाला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 211 रकबा 26.6202 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण वाद के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 211 है परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया जा रहा है, जबकि प्रार्थीगण अपने 26.6202 हैक्टेयर भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा कर अप्रार्थी की भूमि पर काश्त कर रहे है तथा माननीय न्यायालय द्वारा जारी ईकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 13.06.2023 की आड़ में अप्रार्थी संख्या 01 को परेशान कर रहे है

तथा अप्रार्थी संख्या 01 इकलौता है तथा प्रार्थीगण ज्यादा तादाद में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

होने के कारण पुलिस में झूठे मुकदमे कर अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से माननीय न्यायालय को गुमराह कर प्रार्थीगण ने स्थगन प्राप्त किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने खेत की पक्की नेखमबन्दी करवा रखी है। नेखमबन्दी की मौका फर्द में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थीगण का लाल रंग में दर्शित भूमि पर अतिक्रमण है तथा अप्रार्थी की नेखमबन्दी की सूचना प्रार्थीगण को थी। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जाकर प्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 287/210 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त अप्रार्थी संख्या 01 की नेखमबन्दी हो रखी है तथा नेखमबन्दी की मौका फर्द के अवलोकन से प्रार्थीगण का अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 की सीमाओं का विवाद वाद के निर्णय से साबित होगा। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर